संख्या-114/2016/247/22-2-2016-17(165)/2010

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 08 अगस्त ,2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र पुत्र श्री दाताराम, निवासी-सोंहजनी, थाना-जानसठ, जनपद-मुजफ्फरनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 2563/प्रो0-5-दया0-अन्य-118/22-12-2015 दिनांक 25-01-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राजेन्द्र पुत्र श्री दाताराम, निवासी-सोंहजनी, थाना-जानसठ, जनपद-मुजफ्फरनगर। बन्दी द्वारा चुनावी रंजिश एवं वादी के खिलाफ किसान सेवा सहकारी समिति लि0 के अध्यक्ष पद के अविश्वास प्रस्ताव में हार जाने के कारण चल रही रंजिश के कारण बन्दी अपने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 29.05.2001 को कट्टों से 04 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-856/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट्रैक कोर्ट, मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 26-05-2004 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 05 सहअभियुक्त कारागार में सजा भोग रहे है। बन्दी द्वारा दिनांक 08-09-2015 तक 11 वर्ष 06 माह 14 दिन की अपरिहार एवं 15 वर्ष की 03 माह 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर ने अपनी आख्या में कहा है कि बन्दी पुनः अपराध कर सकता है। बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है। बन्दी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी राजेन्द्र (बन्दी संख्या-9762) पुत्र श्री दाताराम, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-114/2016/247/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा ।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in